भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस),
आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7वीं मंज़िल,
प्लाट P-6,7,8, से.-5, आई.एम्.टी. मानेसर,
गुडगाँव, हरियाणा - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated
Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7th Floor,
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,
Gurgaon, Haryana - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/482 **दिनांक:** -03/07/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधीनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (*4*) कम्पनियों का नाम ***राजस्थान*** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hidni Name
1	AA8346079	U74210RJ1995PTC010854	कोटिया इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड,
2	AA8631613	U74999RJ2019PTC063535	ऑफिसिस्टो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3	AA8310966	U93000RJ2019PTC063708	बायस्क एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AA8553751	U74999RJ2018PTC060454	सिद्धियानंता इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रुप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है ।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07123/11/0245/2425